

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक:- 41424 - 29 / वसूली / 2017-18

दिनांक: 05.02.18

समस्त जनपदीय शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।


अनुस्मारक / अतिआवश्यक

कृपया प्र०का० के पत्रांक 41395-99/वसूली/2017-18 दि० 01.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समस्त बकायेदारों में से विभागीय कार्यवाही (धारा 95 'क') के आच्छादन एवं राजस्व विभाग(आर०सी०) की सूचना कृषकवार/अमीनवार तैयार कर दि० 17.02.2018 तक प्र०का० को उपलब्ध कराने की अपेक्षा गई है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2018 को आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र० द्वारा उक्त वांछित सूचना की अद्यतन प्राप्त होने की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की जनपद स्तरीय शाखाओं की वांछित सूचना दि० 09.02.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

अग्रेतर आयुक्त एवं निबन्धक महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश स्तर पर आर०सी० का मिलान राजस्व विभाग से करने के उपरान्त प्रेषित किया जाय।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है आप अपनी शाखा के समस्त बकायेदारों में से विभागीय कार्यवाही(धारा 95'क') से आच्छादित एवं राजस्व विभाग(आर०सी०) से आच्छादित बकायेदारों, की कृषकवार/अमीनवार सूची दि० 08.02.2018 तक निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि आयुक्त एवं निबन्धक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वांछित सूचना दि० 09.02.2018 को उपलब्ध कराई जा सके। जनपद/मण्डल की शेष शाखाओं की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत अपने मण्डलीय कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही आर०सी० का मिलान राजस्व विभाग से करने के उपरान्त प्रेषित किया जाय। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब क्षम्य नहीं होगा।


05.02.18
(आर०बी०गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित मण्डलीय शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह के पत्रांक 41395-99/वसूली/2017-18 दि० 01.02.2018 द्वारा वांछित सूचना में से जनपदीय शाखाओं की सूची प्राप्त कर वसूली अनुभाग की मेल आई०डी० पर दि० 08.02.2018 तक प्रेषित करें। तथा मण्डल की शेष शाखाओं की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित करें।
- 2-समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ०प्र० सह० ग्राम वि० बैंक लि०, प्र० का०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्रांक 41395-99/वसूली/2017-18 दि० 01.02.2018 द्वारा वांछित सूचना के क्रम में जनपदीय शाखाओं की सूची दि० 08.02.2018 तक वसूली अनुभाग को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें। साथ ही अन्य शेष शाखाओं की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
- 3-उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को शाखाओं को ई-मेल करने हेतु।
- 4- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक को, प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- 5-निजी सचिव आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ०प्र० को, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय के अवलोकनार्थ।


05.02.18
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)